Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Regarding grant of reservation to Maratha Community -laid.

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को कानून के माध्यम से आरक्षण दिया था, जिसको उच्च न्यायालय द्वारा वैध घोषित किया गया था, लेकिन 9 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कानून पर स्टे लगा दिया गया और कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि वर्ष 2020-21 में होने वाली भर्ती प्रकिया में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। न्यायालय के इस आदेश के कारण मराठा समाज के लोगों को असंतोष होगा, जिनको बहुत वर्षों के संघर्ष और आंदोलन के बाद आरक्षण का अधिकार मिला है, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

मेरा सरकार से आग्रह है कि मराठा समाज को दिए जाने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखा जाए और इस वर्ष लगे रोक को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाये।

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Speaker, Sir, the Congress leaders said that they will pay for all the expenses of the migrant labourers when they undertook the train journey, etc. from Rajasthan to West Bengal. In Rajasthan, there is a Congress Government but the West Bengal Government has to pay Rs.36 lakh. Congress did not pay a single paisa. Sitting here in Delhi, some of the Congress leaders were giving bites. In West Bengal, Congress leaders have not gone to see any migrant labour; they did not render any assistance. They are making big speeches.